

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक 26 सितम्बर 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा-2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जिला बुलन्दशहर के 1229 राजस्व ग्रामों को ग्राम आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 428/एक-14/2020 दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे गये हैं।

उक्त के क्रम में मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर, जनपद बुलन्दशहर की तहसील सदर, सिकन्द्राबाद, खुरजा, शिकारपुर, डिबाई, अनूपशहर, स्याना के पंचम चरण हेतु नीचे अंकित अनुसूची में विनिर्दिष्ट 70 ग्रामों में आबादी क्षेत्रों की सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ स्वामित्व योजना के अधीन कार्य प्रारम्भ/सम्पादित करने का आदेश देता हूँ।

अनुसूची

| जनपद का नाम | क्र०सं० | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | क्र०सं० | तहसील का नाम | ग्राम का नाम |
|-------------|---------|--------------|----------------------------|---------|--------------|-------------------------------|
| बुलन्दशहर | 1 | सदर | खेडी | 36 | शिकारपुर | बनैल |
| बुलन्दशहर | 2 | सदर | भीकनपुर | 37 | शिकारपुर | समसपुर |
| बुलन्दशहर | 3 | सदर | रसीदपुर | 38 | शिकारपुर | पहाड़पुर हवेली |
| बुलन्दशहर | 4 | सदर | सीही | 39 | शिकारपुर | अब्दुल्लापुर हुलासन |
| बुलन्दशहर | 5 | सदर | कौराली | 40 | शिकारपुर | तुर्कीपुरावास |
| बुलन्दशहर | 6 | सदर | कियावली | 41 | डिबाई | खेड़ियावकश |
| बुलन्दशहर | 7 | सदर | नसीराबाद पूठी | 42 | डिबाई | हुसैनपुरा |
| बुलन्दशहर | 8 | सदर | कुछैजा | 43 | डिबाई | सबलपुर |
| बुलन्दशहर | 9 | सदर | क्यामपुर | 44 | डिबाई | रामनगर |
| बुलन्दशहर | 10 | सदर | रसूलपुर | 45 | डिबाई | करीरी |
| बुलन्दशहर | 11 | सिकन्द्राबाद | किशनपुर | 46 | डिबाई | राजघाट बांगर |
| बुलन्दशहर | 12 | सिकन्द्राबाद | लाठीर | 47 | डिबाई | उदयगढ़ी बांगर |
| बुलन्दशहर | 13 | सिकन्द्राबाद | रिटौली | 48 | डिबाई | नौदेई बांगर |
| बुलन्दशहर | 14 | सिकन्द्राबाद | हमीदपुर | 49 | डिबाई | निवाडी बांगर |
| बुलन्दशहर | 15 | सिकन्द्राबाद | दुल्हेश | 50 | डिबाई | नित्यानन्दपुर |
| बुलन्दशहर | 16 | सिकन्द्राबाद | लुहाकर | 51 | अनूपशहर | पिपैरा |
| बुलन्दशहर | 17 | सिकन्द्राबाद | सूबरा | 52 | अनूपशहर | जमराऊ |
| बुलन्दशहर | 18 | सिकन्द्राबाद | फतहपुर जादों | 53 | अनूपशहर | किशनपुर उर्फ किशनखेड़ा |
| बुलन्दशहर | 19 | सिकन्द्राबाद | चौकी | 54 | अनूपशहर | पौटा बादशाहपुर |
| बुलन्दशहर | 20 | सिकन्द्राबाद | ईसेपुर | 55 | अनूपशहर | जलीलपुर |
| बुलन्दशहर | 21 | खुरजा | मीरपुर पहासू | 56 | अनूपशहर | ऑजनी |
| बुलन्दशहर | 22 | खुरजा | फरकना गंगागढ़ी | 57 | अनूपशहर | रूठा |
| बुलन्दशहर | 23 | खुरजा | मांछीपुर | 58 | अनूपशहर | राजौर |
| बुलन्दशहर | 24 | खुरजा | मौहम्मदपुर मजरा बीछट | 59 | अनूपशहर | पहाड़पुर |
| बुलन्दशहर | 25 | खुरजा | पिलखनहारी उर्फ सावितगढ़ | 60 | अनूपशहर | बोढा |
| बुलन्दशहर | 26 | खुरजा | नरायनपुर | 61 | स्याना | मौ० अल्लीपुर उर्फ नीमापाटी |

| | | | | | | |
|-----------|----|----------|---------------|----|--------|-------------|
| बुलन्दशहर | 27 | खुरजा | वादौली | 62 | स्याना | गुलाबनगर |
| बुलन्दशहर | 28 | खुरजा | हीसौटी | 63 | स्याना | मदनगढ़ |
| बुलन्दशहर | 29 | खुरजा | बलराऊ | 64 | स्याना | कुचेसर |
| बुलन्दशहर | 30 | खुरजा | हसनपुर लडूकी | 65 | स्याना | सेगा जगतपुर |
| बुलन्दशहर | 31 | शिकारपुर | अनौना | 66 | स्याना | सुलैला |
| बुलन्दशहर | 32 | शिकारपुर | उटरावली | 67 | स्याना | बरहाना |
| बुलन्दशहर | 33 | शिकारपुर | त्यौर बुजुर्ग | 68 | स्याना | चठेश |
| बुलन्दशहर | 34 | शिकारपुर | कुंवरपुर | 69 | स्याना | थौना |
| बुलन्दशहर | 35 | शिकारपुर | नारऊ | 70 | स्याना | भदौरा |

(रविन्द्र कुमार)

जिलाधिकारी / जिला अभिलेख अधिकारी,
बुलन्दशहर।

तद्दिनांक

पत्रांक 1174 / सात-भूलेख / स्वामित्व योजना

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, अनुभाग-9, लखनऊ।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
5. अपर जिलाधिकारी-प्रशासन/नोडल अधिकारी, बुलन्दशहर।
6. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद बुलन्दशहर।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचित ग्रामों में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कराते हुये प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा इस अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु जनपद मुख्यालय, डी0पी0आर0ओ0 कार्यालय, संबंधित ब्लॉक एवं संबंधित ग्राम पंचायतों में चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त तहसीलदार जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचित ग्रामों में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कराते हुये प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा इस अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु जनपद मुख्यालय, संबंधित तहसील में चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद की बेबसाईट पर अपलोड करायें।
10. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें।

जिलाधिकारी / जिला अभिलेख अधिकारी,
बुलन्दशहर।